



## **The Uttarakhand Public Service (Horizontal Reservation for Skilled Sportspersons) Act, 2024**

Act No. 9 of 2024

**DISCLAIMER:** This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.



# सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)  
(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, शनिवार, 16 मार्च, 2024 ई0

फाल्गुन 26, 1945 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 117/XXXVI (3)/2024/09(1)/2024

देहरादून, 16 मार्च, 2024

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन मा0 राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित ‘उत्तराखण्ड लोक सेवा (कुशल खिलाड़ियों के लिए क्षैतिज आरक्षण) विधेयक, 2024’ पर दिनांक 16 मार्च, 2024 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड राज्य का अधिनियम संख्या: 09, वर्ष- 2024 के रूप में सर्व-साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड लोक सेवा (कुशल खिलाड़ियों के लिए क्षैतिज आरक्षण) अधिनियम, 2024  
(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 09, वर्ष 2024)

उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में पदक विजेता/प्रतिभाग करने वाले कुशल खिलाड़ियों के पक्ष में, राज्य में लागू विद्यमान आरक्षण के अतिरिक्त लोक सेवा एवं पदों में क्षैतिज आरक्षण देने और उससे संबंधित या आनुषंगिक मामलों के लिए,

**अधिनियम**

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

- |                           |    |  |
|---------------------------|----|--|
| संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ | 1. | (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड लोक सेवा (कुशल खिलाड़ियों के लिए क्षैतिज आरक्षण) अधिनियम, 2024 है।  |
| परिभाषाएँ                 | 2. | (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।   |
|                           |    | इस अधिनियम में, जब तक सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो;  |
|                           |    | (क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से लोक सेवाओं और पदों के सम्बन्ध में ऐसी सेवाओं और पदों पर नियुक्ति करने के लिए सशक्त प्राधिकारी अभिप्रेत है;  |
|                           |    | (ख) "अधिवास" से उत्तराखण्ड शासनादेश संख्या 2588/एक-4/सा.प्र./2001, दिनांक 20 नवम्बर, 2001 या भर्ती के समय प्रवृत्त अन्य किसी शासनादेश में निर्धारित पात्रता मानक अभिप्रेत है;        |
|                           |    | (ग) "लोक सेवाओं और पदों" से राज्य के कार्यकलाप से सम्बन्धित लोक सेवा और पद अभिप्रेत हैं और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित सेवायें और पद भी सम्मिलित हैं :-                                 |
|                           |    | (एक) स्थानीय प्राधिकारी;   |
|                           |    | (दो) उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम, 2003 की धारा 2 के खण्ड (अ) में परिभाषित ऐसी सहकारी समिति, जिसमें राज्य सरकार द्वारा धृत अंश, समिति की अंश पूँजी के इक्यावन प्रतिशत से कम न हो; |
|                           |    | (तीन) किसी केन्द्रीय या उत्तराखण्ड राज्य के अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई बोर्ड या कोई निगम या  |

कोई कानूनी निकाय, जो राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन हो या कम्पनी अधिनियम, 2013 में यथा परिभाषित कोई सरकारी कम्पनी, जिसमें राज्य सरकार द्वारा धृत समादत्त शेयर पूँजी इक्यावन प्रतिशत से कम न हो;

(चार) भारत का संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित किसी संस्था के सिवाय, राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन कोई शिक्षण संस्था या राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त संस्था जिसके अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के किसी अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई विश्वविद्यालय भी है;

(घ) "कुशल खिलाड़ी" से भारत का ऐसा नागरिक अभिप्रेत है, जिसके द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में कोई पदक जीता गया हो या प्रतिभाग किया गया हो और जिसका मूल अधिवास उत्तराखण्ड में है, परन्तु उसने अन्य कहीं का कोई स्थायी अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया है, अथवा जिसका मूल अधिवास उत्तराखण्ड में नहीं है, परन्तु उसने शासनादेश संख्या 2588/एक-4/सा.प्र./2001, दिनांक 20 नवम्बर, 2001 या तत्समय प्रवृत्त अधिवास सम्बन्धी किसी अन्य शासनादेश के अनुसार उत्तराखण्ड में स्थायी अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो;

(ङ) "भर्ती का वर्ष" से किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि, जिसके भीतर ऐसी रिक्ति के प्रति सीधी भर्ती की प्रक्रिया प्रारम्भ की जाये, अभिप्रेत है।

कुशल खिलाड़ियों के पक्ष में आरक्षण 3.

लोक सेवाओं और पदों में उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता/प्रतिभाग करने वाले कुशल खिलाड़ियों के पक्ष में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर, रिक्तियों में, जिन पर भर्ती की जानी है, 04 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण निम्नवत् अनुमन्य होगा:-

क्र. सं.	प्रतियोगिता का नाम	प्रतियोगिता का स्तर	क्षैतिज आरक्षण
1.	ओलम्पिक खेल	पदक विजेता / प्रतिभाग	लेवल-10 एवं उससे निम्न लेवल के पदों पर
2.	विश्वकप/विश्व चैम्पियनशिप/एशियन खेल	पदक विजेता / प्रतिभाग	लेवल-8 एवं उससे निम्न लेवल के पदों पर

3.	कॉमनवेल्थ खेल/एशियन चैम्पियनशिप	पदक विजेता / प्रतिभाग	लेवल-7 एवं उससे निम्न लेवल के पदों पर
4.	कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप/अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेल	पदक विजेता / प्रतिभाग	लेवल-6 एवं उससे निम्न लेवल के पदों पर
5.	राष्ट्रीय खेल/मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चैम्पियनशिप/अखिल भारतीय विश्वविद्यालय खेल/खेलो इम्पियल यूथ गेम्स	पदक विजेता	लेवल-5 एवं उससे निम्न लेवल के पदों पर

परन्तु यह कि राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत कुशल खिलाड़ियों के लिए आरक्षित पदों पर योग्य कुशल खिलाड़ी उपलब्ध न होने पर उन पदों को अग्रेनीत नहीं किया जायेगा, बल्कि समान श्रेणी के प्रवीणता क्रम में आने वाले योग्य अभ्यर्थियों से भरा जायेगा।

अधिनियम के अनुपालन के लिए उत्तरदायित्व और शक्ति

4. (1)

राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए किसी नियुक्ति प्राधिकारी या किसी अधिकारी या कर्मचारी को, अधिसूचित आदेश द्वारा, उत्तरदायित्व सौंप सकती है।

(2)

राज्य सरकार, अधिसूचित आदेश द्वारा उपधारा (1) में निर्दिष्ट नियुक्ति प्राधिकारी या अधिकारी या कर्मचारी में ऐसी शक्तियाँ या प्राधिकार निहित कर सकती है, जो उपधारा (1) के अधीन उसे सौंपे गये उत्तरदायित्व के प्रभावी निर्वहन के लिए आवश्यक हों।

अभिलेख मांगने की शक्ति

5.

यदि राज्य सरकार की जानकारी में यह आता है कि धारा 2(घ) एवं धारा 3 के अन्तर्गत कोई कुशल खिलाड़ी, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों या इसके अधीन बनाये गये नियमों या इस निमित्त सरकार के आदेशों के अनुपालन के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है, तो वह ऐसे अभिलेखों को मांग सकेगी और ऐसी कार्यवाही कर सकेगी जो वह आवश्यक समझे।

अधिवास प्रमाण पत्र जारी करने की शक्ति

6.

इस अधिनियम के अधीन उपबन्धित क्षैतिज आरक्षण के प्रयोजनों के लिए उत्तराखण्ड राज्य के कुशल खिलाड़ियों हेतु अधिवास प्रमाण-पत्र ऐसे प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से और ऐसे प्रारूप में जैसा राज्य सरकार आदेश द्वारा उपबन्ध करे, जारी किया जायेगा।

सद्भावपूर्वक की 7.  
गई कार्रवाई के  
लिए संरक्षण

इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए राज्य सरकार या किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।

आदेशों इत्यादि 8.  
का रखा जाना

धारा 4 के अधीन दिये गये प्रत्येक आदेश को यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखा जायेगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 23क की उपधारा (1) के उपबन्ध उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे, जैसे कि वे उत्तराखण्ड के किसी अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के सम्बन्ध में प्रवृत्त होते हैं।

व्यावृत्ति 9. (1)

इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसे मामलों पर प्रवृत्त नहीं होंगे जिनमें चयन प्रक्रिया इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व प्रारम्भ हो चुकी हो और ऐसे मामले विधि के उपबन्धों के और सरकार के आदेशों के अनुसार, जैसे कि वे ऐसे प्रारम्भ के पूर्व थे, व्यवहृत किये जायेंगे।

**स्पष्टीकरण—** इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, चयन प्रक्रिया प्रारम्भ हुई समझी जायेगी, जहाँ सुसंगत सेवा नियमों के अधीन की जाने वाली भर्ती निम्नलिखित आधार पर की गयी है:—

(एक) जहाँ केवल लिखित परीक्षा या साक्षात्कार हो, वहाँ यथास्थिति, लिखित परीक्षा या साक्षात्कार प्रारम्भ हो जाने पर;

(दो) जहाँ लिखित परीक्षा और साक्षात्कार दोनों हों, वहाँ लिखित परीक्षा प्रारम्भ हो जाने पर,

(2) इस अधिनियम के उपबन्ध उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 (उत्तराखण्ड अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) तथा भारतीय सेना/अर्द्धसैनिक बलों के शहीद सैनिक (उत्तराखण्ड के स्थायी निवासी) के आश्रितों की राज्याधीन सेवाओं में अनुकम्पा के आधार पर सेवायोजन नियमावली, 2018 के अधीन की जाने वाली नियुक्ति पर लागू नहीं होंगे।

नियम बनाने की 10. (1)  
शक्ति

राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र सत्र के दौरान विधान सभा के समक्ष रखा जायेगा।

अध्यारोही प्रभाव

11.

किसी अन्य अधिनियम या किसी न्यायालय के किसी निर्णय/डिक्री/आदेश या दिशा-निर्देशों में उत्तसे असंगत किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के प्रावधान विधिमान्य एवं प्रभावी समझे जाएंगे।

कतिपय कृत्यों का विधिमान्यकरण

12.

(1)

इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व विशिष्ट खिलाड़ियों हेतु सेवायोजन में क्वैतिज आरक्षण सम्बन्धी की गई कार्रवाई इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन विधिमान्य रूप से की गई समझी जाएगी।

(2)

इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व अधिकारी, न्यायाधीश के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति का प्रत्येक आदेश और तैनाती, प्रोन्नति या स्थानांतरण के प्रत्येक आदेश को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन विधिमान्य रूप से किया गया समझा जाएगा।

(3)

इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व अधिकारी, न्यायाधीश द्वारा प्रयोग की गई प्रत्येक शक्ति और निष्पादित कृत्य, व्यवहार किया गया प्रत्येक मामला, की गई प्रत्येक कार्यवाही, प्रत्येक आदेश, निर्णय, डिक्री या पारित किया गया प्रत्येक दंडादेश और किया गया प्रत्येक अन्य कृत्य, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन विधिमान्य रूप से प्रयोग किया गया, निष्पादित, व्यवहार किया गया, लिया गया, पारित या किया गया समझा जाएगा।

कठिनाइयों के निवारण की शक्ति

13.

यदि इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो, तो राज्य सरकार अधिसूचित आदेश द्वारा ऐसी व्यवस्था कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो और जो कठिनाइयों को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो;

परन्तु यह कि इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा।

आज्ञा से,

नितिन शर्मा,  
प्रमुख सचिव।

## उद्देश्य और कारणों का कथन

उत्तराखण्ड राज्य के अनेक प्रतिभावान खिलाड़ियों द्वारा अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से राज्य को खेलों के क्षेत्र में नई पहचान दी है; किन्तु राज्य में रोजगार के संसाधनों की कमी के कारण प्रतिभावान खिलाड़ियों द्वारा रोजगार हेतु अन्य राज्यों की ओर पलायन किया जा रहा है। अतः प्रतिभावान खिलाड़ियों के राज्य से हो रहे पलायन को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के कुशल खिलाड़ियों को लोक सेवाओं और पदों में 04 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य किये जाने हेतु विधेयक लाया जाना प्रस्तावित है।

2. प्रस्तावित विधेयक उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति करता है।

पुष्कर सिंह धामी  
मुख्यमंत्री।



No. 117/XXXVI(3)/2024/09(1)/2024

Dated Dehradun, March 16, 2024NOTIFICATIONMiscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of 'The Uttarakhand Public Services (Horizontal Reservation for Skilled Sportspersons) Act, 2024' (Act No. 09 of 2024).

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 16<sup>th</sup> March, 2024.

**The Uttarakhand Public Service (Horizontal Reservation for Skilled Sportspersons) Act, 2024**

(Uttarakhand Act No. 09 of 2024)

**An**

**Act**

to provide the horizontal reservation in public services and posts in favour of the skilled sportspersons of the Uttarakhand State, who have won medals/participated in sports at International/ National level, in addition to the existing, reservation applicable in the State and for matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by the Uttarakhand Legislative Assembly in the seventy fifth year of the Republic of India as follows:-

**Short title and commencement**

- (1) This Act may be called the Uttarakhand Public Service (Horizontal Reservation for Skilled Sportspersons) Act, 2024.

(2) It shall be come into force at once.

**Definitions**

- In this Act, unless the context otherwise requires,-

(a) "Appointing Authority" in relation to public services and posts means the Authority empowered to make appointment to such services and posts;

(b) "domicile" means eligibility criteria determined in Uttarakhand G.O. No. 2588/One-4/G.A./2001 dated 20 November, 2001 or any other Government order in force at the time of recruitment;

(c) "Public Services and Posts" means the services and posts in connection with the affairs of the State and also includes following posts and services:-

(i) local Authority;

(ii) such Co-operative Committee define in clause (A) of Section 2 of the Uttarakhand Co-operative Committee Act, 2003, in which the holding of State Government is not less than 51 percent of share capital of Committee;

(iii) any board or any corporation or any legal body established by or under the any central or Uttarakhand State Act which is under the ownership or control of the State Government or Government company as defined in the Company Act, 2013, in which the holding of paid up share capital by the State is not less than 51 percent;

(iv) any educational institution under ownership and control of the State Government or which receives grants in aid from the State Government including a university established by or under any Act of Uttarakhand State, except any institution established and administered by minority section specified in clause (1) of article 30 of the Constitution of India;

(d) "Skilled Sportspersons" means a citizen of India who has won a medal or participated in sports at the International/National level and whose domicile of origin is in Uttarakhand, but he/she has not obtained any permanent domicile certificate from anywhere else or whose domicile of origin is not in Uttarakhand but he/she has obtained a permanent domicile certificate in Uttarakhand as per the G.O. No. 2588/One-4/G.A./2001 dated 20 November, 2001 or any other Government Order related to domicile, for the time being in force;

(e) "Year of Recruitment" means the period of twelve months beginning on the first day of July of any calendar year, within which the process of direct recruitment against such vacancy is to be started.

**Reservation in favour of Skilled sportspersons**

3. In the process of direct recruitment, 04 percent horizontal reservation in the vacancies in public services and posts, on which recruitment is to be done in favour of Skilled sportspersons of Uttarakhand state who have won medals/participated in sports at the International/National level, shall be allowed as follows:-

S. No.	Name of Competition	Level of Competition	Horizontal Reservation
1.	Olympic Games	Medals Winner/ Participation	posts at level-10 and below
2.	World Cup/World Championship/Asian Games	Medals Winner/ Participation	posts at level-8 and below
3.	Commonwealth Games/Asian Championship	Medals Winner/ Participation	posts at level-7 and below
4.	Commonwealth Championship /International University Games	Medals Winner/ Participation	posts at level-6 and below
5.	National Games/ National Championships organized by recognised National Sports Associations/ All India University Games/ Khelo India Youth Games	Medals Winner	posts at level-5 and below

Provided that if suitable Skilled sportspersons are not available on the posts reserved for Skilled sportspersons under the state services, those posts shall not be carried forward rather, it shall be filled with qualified candidates coming in the order of proficiency of the same category.

- Responsibility and power for compliance of Act** 4. (1) The State Government may, by notified order entrust to the responsibility to any appointing authority or any officer or employee for ensuring the compliance of the provisions of this Act.
- (2) The State Government may, by notified order vest such powers or authority to the appointing authority or officer or employee referred in sub section (1) as may be necessary for effective discharging of the responsibility entrusted to him under sub section (1).
- Power to call record** 5. If it comes to the notice of the State Government, that any Skilled Sportspersons under section 2(d) and section 3 has been adversely affected on account of non compliance of the provisions of this Act or the rules made thereunder or the Government orders issued in this behalf by the appointing authority, it may call for such records and take such actions as it may consider necessary.
- Power to issue Domicile certificate** 6. For the purposes of horizontal reservation provided under this Act, a domicile certificate for Skilled Sportspersons of Uttarakhand state shall be issued by such authority or officer and in such manner and such form as the State Government may, by order, provide;
- Protection of action taken in good faith** 7. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against State Government or any person, for anything which is in good faith done or intended to be done, in pursuance of this Act or rules made thereunder.
- Laying of orders etc.** 8. Every order made under Section 4 shall be laid, as soon as may be, before State Legislative Assembly and the provisions of sub section (1) of Section 23A of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (as applicable in Uttarakhand state) shall apply as they apply in respect of the rules made by the State Government under any Uttarakhand Act.
- Savings** 9. (1) The provisions of this Act shall not apply to cases in which the selection process has been initiated before the Commencement of this Act and such cases, deemed to be dealt in accordance with the provisions of law and Government orders as they stood before such Commencement;

**Explanation-** For the purposes of this sub section the selection process shall be deemed to be initiated, where under relevant service rules, recruitment is to be made, on the basis of :-

(i) written exam or interview only, the written exam or interview, as the case may be, has been initiated, or

(ii) both written exam and interview, the written exam has been initiated.

(2) The provisions of this Act shall not be apply to the appointment, to be made under the Uttar Pradesh Recruitment of Dependants of Government Servants Dying in Harness Rules, 1974 (Adaptation and Modification order, 2002) and The Dependant of Martyr Soldiers of Indian Army/ Paramilitary Forces (Permanent Resident of Uttarakhand) on Compassionate Basis in State Services Employment Rules, 2018.

**Power to make rules** 10. (1) The State Government may by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) All rules under this Act shall as soon as may be after they are made be laid before State Legislature while it is in session.

**Overriding Effects** 11. Notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other Act or Judgment/Decree/Order or directions of any courts the provisions of this Act, shall be valid and effective.

**Validation of certain actions** 12. (1) Before the Commencement of this Act Horizontal reservation in employment for Specific Sportspersons any action taken shall be deemed to have been validly done under the provisions of this Act.

(2) Every order of appointment of a person as a officer, Judge and every order of posting, promotion or transfer before to the Commencement of this Act shall be deemed to have been validly done under the provisions of this Act.

(3) Every power exercised and function performed every matter, deal with every proceedings, every order, judgement decree or sentence passed and every other act done by the officer, judge before the commencement of this Act shall be deemed to be validly exercised, performed, dealt, with undertaken, passed or done under the provisions of this Act.

**Power to remove difficulties** 13. If any difficulties arises in giving effect to the provision of this Act, the State Government may by notified order, shall make such provisions not inconsistent with the provision of this Act and which as appears to it to be necessary or expedient for removing the difficulties;

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two years from the date of commencement of this Act.

By Order,

NITIN SHARMA,  
Principal Secretary.

## Statement of Objects and reasons

Many talented players of the Uttarakhand state have given a new identity to the state in the field of sports with their excellent performance; but due to lack of employment resources in the state, talented players are migrating to other states for employment. Therefore, to stop the migration of talented players from the state, a bill is proposed by the State Government to allow 04 percent horizontal reservation in public services and posts to the Skilled Sportspersons of Uttarakhand state.

2. The proposed Bill fulfills the aforesaid objective.

Pushkar Singh Dhama  
Chief Minister.